

कार्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून

(मसूरी बाईपास रोड, जोगीवाला, नत्थनपुर, देहरादून, पुलिया नं०-६ के समीप)

पत्रांक : 1432 / म०नि०नि० / 2020-21

दिनांक : 30 मार्च, 2021

:: कार्यालय ज्ञाप ::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 4(3) के अनुसार किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा-5 में किये गये प्राविधानों के अनुसार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सुगम एवं दुर्गम स्थलों का जिलेवार चिन्हांकन (जिला मुख्यालय पर तैनाती हेतु निर्धारित पद को छोड़कर) निम्नवत् किया जाता है :-

क्रमांक	जनपद	सुगम स्थल	दुर्गम स्थल
01	देहरादून	1. मुख्यालय, देहरादून 2. देहरादून 3. विकासनगर 4. ऋधिकेश	-
02	हरिद्वार	1. हरिद्वार 2. रुडकी 3. लक्सर	-
03	ऊधमसिंह नगर	1. रुद्रपुर 2. किच्छा 3. काशीपुर 4. जसपुर 5. बाजपुर 6. सितारगंज	-
04	नैनीताल	1. नैनीताल 2. हल्द्वानी 3. रामनगर	1. धारी
05	पौड़ी गढ़वाल	1. कोटद्वार	1. पौड़ी 2. श्रीनगर 3. लैन्सडौन
06	टिहरी गढ़वाल	-	1. टिहरी 2. देवप्रयाग 3. जाखणीघार 4. घनसाली
07	उत्तरकाशी	-	1. उत्तरकाशी 2. बडकोट 3. पुरोला
08	चमोली	-	1. चमोली 2. थराली 3. कर्णप्रयाग 4. जोशीमठ
09	रुद्रप्रयाग	-	1. रुद्रप्रयाग 2. ऊखीमठ
10	अल्मोडा	-	1. अल्मोडा 2. रानीखेत 3. भिक्यासैण
11	बागेश्वर	-	1. बागेश्वर 2. कपकोट
12	पिथौरागढ़	-	1. पिथौरागढ़ 2. गंगोलीहाट 3. डीडीहाट
13	चम्पावत	-	1. चम्पावत

(डॉ० अहमद इकबाल)
महानिरीक्षक निबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक एवं दिनांक :: उक्तानुसार।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिला निबंधक, उत्तराखण्ड।
- 3- उप/समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड।
- 4- सहायक महानिरीक्षक निबंधन (मुख्यालय) उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ० अहमद इकबाल)
महानिरीक्षक निबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून

(मसूरी बाईपास रोड, जोगीवाला, नखनपुर, देहरादून . पुलिस नं०-6 के समीप)

पत्रांक : 1433 / म०नि०नि० / 2020-21

दिनांक : 30 मार्च, 2021

कार्यालय ज्ञाप : :

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 4(3) के अनुसार किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु सुगम-दुर्गम जनपदों का निर्धारण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 102/XXX(2)/18/30(13) / 2017 दिनांक 14 अप्रैल 2018 तथा अधिनियम की धारा-5 में किये गये प्राविधानों के क्रम में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान के अन्तर्गत केवल जिला मुख्यालय पर तैनाती हेतु निर्धारित पद मुख्य निबंधन लिपिक के लिए सुगम एवं दुर्गम स्थलों का जनपदवार चिन्हांकन निम्नवत् होगा :-

क्रमांक	सुगम जनपद	क्रमांक	दुर्गम जनपद
1	देहरादून	1	पौड़ी गढ़वाल
2	हरिद्वार	2	उत्तरकाशी
3	ऊधमसिंह नगर	3	चमोली
4	नैनीताल	4	रूद्रप्रयाग
5	अल्मोड़ा	5	चम्पावत
6	टिहरी गढ़वाल	6	बागेश्वर
		7	पिथौरागढ़

(डॉ० अहमद इकबाल)
महानिरीक्षक निबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक एवं दिनांक : उक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिला निबंधक, उत्तराखण्ड।
- 3- उप/समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड।
- 4- सहायक महानिरीक्षक निबंधन (मुख्यालय) उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 5- कार्यालय प्रति।

(डॉ० अहमद इकबाल)
महानिरीक्षक निबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून